(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 232/2015

बउनवान

धन्नालाल पुत्र हजारी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी हिंगलोट तहसील छबडा जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

कजोड पुत्र रामा सहरिया जाति सहरिया निवासी हिंगलोट तहसील छबडा जिला बारॉ (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.5.2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री विरेन्द्र गौत्तम अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 19.11.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कजोड बनाम धन्ना मे पारित आदेश दिनांक 15.5.2015 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 8.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे लिमिटेशन के बिन्दु पर उभयपक्ष की सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण मे विस्तृत बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। खातेदार कजोड के अलावा अन्य भी है, अतः अन्य खातेदार आवश्यक पक्षकार है, जिन्हे पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। उक्त निर्णय मनमाने तरीके से पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त विवादित आराजियात पर अपीलांट का जायद अज 12 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अभी भी उक्त आराजियात पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है एवं अभी तक विवादित आराजी वाके ग्राम हिंगलोट तहसील छबडा पर किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा कब्जा रेस्पोडेन्ट को नही दिलाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे स्वयं प्रार्थी [illegible] 0 के शपथ पत्र बयान नही होते हुये गलत रूप से निर्णय पारित करने मे भारी भूल [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय मे मेरे वकील श्री नटवर माहेश्वरी जी थे, उनके आश्वासन पर कि [illegible] होने पर बुला लेगे, कोई सूचना उनसे नही आई। केस की जानकारी [illegible] तो मालुम हुआ कि वकील साहब का स्वर्गवास करीब एक वर्ष पूर्व हो चुका है [illegible] उसी दिनांक की दरख्वात पेश की तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.5.2015 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 18:30:47 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि रेस्पोडेन्ट खातेदार जाति से सहरिया है, जो एस0टी0 मे आते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी मे रेस्पोडेन्ट खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट बउनवान कजोड बनाम धन्ना मे पारित निर्णय दिनांक 15.5.2015 विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुरूप सही निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट के तहत बउनवान कजोड बनाम धन्ना मे पारित आदेश दिनांक 15.5.2015 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नही पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2014 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 15.5.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2019.12.10 13:37:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: